



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 02/2009/चयन/दिनांक 26/06/2009

प्रकाशन की तिथि 01/07/2009

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31/07/2009

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जिला मलेरिया अधिकारी के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जिला मलेरिया अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	01	01	-	-	-	-	-	-	-	04
	योग:-	02	01	01	-	-	-	-	-	-	-	04

“पदों की संख्या परिवर्तनीय है”

नोट:-1. रिक्तियों में आरक्षण -

1.1 उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4 एवं 5 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु आरक्षित हैं।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य आवेदकों के आवेदन अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे।

2. परिवीक्षा अवधि :- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(2) पद का विवरण एवं वेतनमान :-

2.1 पद का नाम :- जिला मलेरिया अधिकारी

2.2 सेवा श्रेणी :- राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)

2.3 वेतनमान रुपये :- 8000-275-13500 / -

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(3) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

एम.एस.सी (कीट विज्ञान) या एम.एस.सी (प्राणीशास्त्र), एम.एस.सी (कीट विज्ञान) को अधिमान दिया जायेगा।

नोट :- उपर्युक्त आवश्यक अर्हतायें आवेदन करने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की शैक्षणिक अर्हतायें मान्य नहीं होंगी तथा ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र संवीक्षा में निरस्त किए जा सकेंगे। आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र भेजने के बाद उन्हें आवेदन पत्र की कमी-पूर्ति का अवसर नहीं दिया जाएगा।

(4) निर्धारित आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2010 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के

लिए उच्चतर आयु 30 वर्ष के स्थान पर 37 वर्ष होगी।

अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

4.1 सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चतर आयु सीमा में दी गई छूटें :-

4.1.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

4.1.2 छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। इस कंडिका के तहत छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में छूट संबंधी अन्य कंडिकाओं के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।

4.1.3 ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:-“छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक

तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4.1.4 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।

4.1.5 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतम आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

4.1.6 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-1-2-/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

4.1.7 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.1.8 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.1.9 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.10 आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक- सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.11 राज्य में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**महत्वपूर्ण टीप:-** 1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 के द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे - छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है एवं जिसका उल्लेख उपरोक्तानुसार किया गया है, वे छूट यथावत लागू रहेगी, परन्तु

उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आयु की गणना दिनांक - 01.01.2010 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) आवेदन-पत्र भरने के संबंध में "निर्देश/जानकारी":-

आवेदन-पत्र दो प्रपत्रों में सन्निहित है :-

5.1 प्रपत्र (एक) - आवेदन पत्र।

5.2 प्रपत्र (दो) - आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, यथा- अंक सूची, उपाधि, अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि प्रस्तुत करना चाहें), जाति प्रमाण पत्र तथा यदि आयु सीमा में छूट चाही गई है तो जिन प्रावधानों के तहत आवेदन आयु में छूट क्लेम कर रहा है, उससे संबंधित सुसंगत प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज आदि की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र-दो में करें।

5.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

5.4 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार (यदि आयु में/आवेदन शुल्क में छूट क्लेम कर रहा है तो) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

5.5 आवेदन-पत्र का प्रपत्र एक, दो सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर की श्रेणी के ऐसे आवेदक जो आयु में/आवेदन शुल्क में छूट क्लेम कर रहा है तो) के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना है। शासन निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रपत्र में दिया गया जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(6) आवेदन शुल्क :-

6.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिये उनके द्वारा जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर रुपये 250/- (रुपये दो सौ पचास) एवं शेष सभी श्रेणी (जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रिमीलेयर भी आते हैं एवं जो जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण क्लेम न करे) के तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये रुपये 350/- (रुपये तीन सौ पचास) आवेदन शुल्क देय होगा।

6.2 आवेदक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा से परीक्षा शुल्क का डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्र. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर में देय हो, बनवाकर भेजेगा। डी.डी. के पीछे आवेदक अपना नाम, पता एवं पद का नाम अवश्य लिखें। रायपुर शहर के आवेदकों से बैंक ड्रॉपट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी

स्वीकार किया जा सकेगा।

### (7) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना :-

7.1 आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर द्वारा प्रकाशित "रोजगार और नियोजन" में इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र-एक एवं प्रपत्र-दो में मूलरूप में प्रयोग कर अथवा आयोग की वेबसाइट से डाउन लोडकर सुस्पष्ट रूप में भरा जाना चाहिए। टंकित एवं हस्त लिखित आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

7.2 जो आवेदन-पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जावेगा।

7.3 आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी आयोग के वेबसाइट ([www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)) से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप डाउन लोड कर ए-4 साईज पेपर में ही प्राप्त करें, अन्य पेपर साईज में डाउनलोड कर भरे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।

### 7.4 आवेदन-पत्र भेजने का पता :-

सचिव,

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

शंकर नगर रोड, रायपुर (छ0ग0)

पिन कोड - 492001.

**टीप :-** प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क नहीं लौटाये जायेंगे।

(8.1) आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने अथवा मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

(8.2) आयोग द्वारा यदि लिखित परीक्षा का निर्णय लिया जाता है तो प्राथमिक (अनंतिम) जांच के आधार पर उम्मीदवारों को प्रावधिक रूप से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया जाएगा। यदि आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के बजाय प्राप्त आवेदनों की संख्या को सीमित करते हुए एवं साक्षात्कार लेकर चयन का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए सूचना भेजी जाएगी। लिखित परीक्षा अथवा आवेदनों की शार्टलिस्टिंग के आधार पर जिन आवेदकों को सूचना दी जाएगी के अतिरिक्त शेष उम्मीदवारों को आयोग द्वारा सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(9) आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिए।

इनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा।

9.1 आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

9.2 विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

9.3 आवश्यक/शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र, यथा- उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन कर रहा हो, उक्त पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हतायें, अनुभव, प्रशिक्षण आदि का प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया हो। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद की उपाधि/अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा।

### 9.4 जाति प्रमाण पत्र :-

9.4.1 यदि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हों तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ क्लेम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में राज्य शासन के प्राधिकृत अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र।

9.4.2 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों को राज्य विभाजन के पूर्व बने हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का पुनर्वैधीकरण कराना अनिवार्य है अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र पुनः बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।

9.4.3 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला आवेदकों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

9.4.4 यदि आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र (जो आवेदन करने की तिथि को वैध हो) के आधार पर आवेदन पत्र में जानकारी भरता है तो उक्त आधार पर आवेदक को लिखित परीक्षा (यदि उक्त परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है) में शामिल होने की प्रावधिक अनुमति दी जाएगी परंतु ऐसे

आवेदक को साक्षात्कार में बुलाने पर उसे साक्षात्कार के समय छत्तीसगढ़ राज्य के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदक को अनर्ह करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

9.4.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण एवं अन्य सुविधायें केवल गैर क्रिमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रिमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है तथा सामान्यतया आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये मान्य होता है। अतः पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद किंतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व का है उन्हें जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रिमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जो आवेदन करने की तिथि के 03 वर्ष के भीतर का जारी किया हुआ हो।

9.5 यदि निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें :-

9.5.1 तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

9.5.2 उपरोक्त कंडिका - 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, एवं 4.1.7 के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारीका प्रमाण-पत्र।

9.5.3 कंडिका- 4.1.8 के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

9.5.4 कंडिका- 4.1.9 के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।

9.5.5 कंडिका- 4.1.10 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

9.5.6 कंडिका-4.1.11 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराज प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

10.5.7 आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

**टीप :- उपरोक्तानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।**

**(10) - नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-**

10.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे अपने आवेदन-पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु इसके

तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन करना चाहिए तथा प्रस्तुत आवेदन की पावती प्राप्त कर मांगे जाने पर आयोग के समक्ष करने हेतु उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए।

10.2 यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

10.3 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**(11) अपराधिक अभियोजन :-**

11.1 ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

2. पररूप धारण (इम्प्रेसोनेशन) किया हो, या

3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया हो, या

5. चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

6. परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

7. परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

8. परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

9. प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11. छ.ग.लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

11.2 उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों के विरुद्ध अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी—

1. आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

2. उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा—

2.1 आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

2.2 राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

2.3 यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—

2.3.1 उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

2.3.2 उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

## (12) पहचान चिन्ह —

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। लिखने के लिए केवल काली स्याही का प्रयोग करें। उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(13) आवेदकों के अर्हता का निर्धारण हेतु आवेदन पत्रों की संवीक्षा :- आवेदकों के अर्हता के निर्धारण हेतु आवेदन पत्रों की संवीक्षा के लिए निम्नानुसार स्टेज निर्धारित है :-

1 प्रारंभिक/प्रथम दृष्टया संवीक्षा

2. विस्तृत संवीक्षा .

13.1 प्रारंभिक संवीक्षा (प्रथम दृष्टया) :- इस स्टेज पर

आयोग द्वारा सरसरी तौर पर केवल यह देखा जाता है कि आवेदक ने आवेदन पत्र के सभी रिक्त स्थान भरे हैं अथवा नहीं तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक अर्हता के संबंध में दस्तावेज/प्रमाण पत्र एवं निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न किये हैं अथवा नहीं। इस स्टेज पर आवेदन पत्र के सभी कालम की पूर्ति न किये जाने/आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर न होने/फोटोग्राफ न होने/अपूर्ण भरे हुए/बिना भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने/निर्धारित समय सीमा के बाद की तिथि में आवेदन पत्र प्राप्त होने/आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न न होने आदि-आदि के आधार पर आवेदक के आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं होने के स्पष्ट आधार पाए जाने पर निरस्त किये जाने तथा शेष को प्रावधिक स्वीकार किए जाने के बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जिसकी सूचना आवेदक को दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

13.2 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदकों की संख्या अधिक हो एवं लिखित परीक्षा के माध्यम से आवेदकों की संख्या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु सीमित किया जाना आवश्यक हो, तथा उक्त स्थिति में आवेदनों की संख्या के आधार पर समस्त आवेदनों की प्रारंभिक संवीक्षा संभव न हो तो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण/गलत पाए गए आवेदन पत्र (यथा-आवेदन पर हस्ताक्षर न होना/आवेदन विलंब से प्राप्त होना/बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होना/फोटो संलग्न न होना घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होना आदि) निरस्त करते हुए यथासंभव शेष आवेदकों को प्रावधिक रूप से परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रवेश पत्र भेजे जाते हैं, जिसका आशय यह कदापि नहीं है कि संबंधित आवेदक को अर्ह मान लिया गया है।

2. विस्तृत संवीक्षा :- जब विज्ञापित पद के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आवेदकों को साक्षात्कार में बुलाने हेतु उनकी संख्या सीमित किया जाना हो, अथवा जब आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना हो, तब प्रत्येक आवेदकों की अर्हता निर्धारण हेतु आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की विस्तृत संवीक्षा की जाती है, एवं उक्त संवीक्षा के आधार पर अर्ह/प्रावधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल किये जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित की जाती है।

2.1 ऐसे आवेदक जिन्हें प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है उन्हें साक्षात्कार के पूर्व आयोग द्वारा चाहे गए दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अथवा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के बारे में आयोग को स्थिति स्पष्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जाएगा।

13.3 आयोग को यह अधिकार है कि किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने/प्रस्तुत अभिलेखों में विसंगति पाये जाने/न्यूनतम आवश्यक अर्हतायें नहीं पाए जाने पर चयन के प्रक्रम के किसी भी स्टेज पर अर्थात् आवेदक के आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने से लेकर आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य पाये गये उम्मीदवार की चयन सूची तैयार करने एवं

इसे शासन के संबंधित विभाग की ओर अनुशंसा भेजने के पूर्व आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त कर सकता है।

**13.4** आयोग द्वारा चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात भी यदि आयोग के संज्ञान में उपरोक्तानुसार तथ्य आता है, तो भी आयोग द्वारा संबंधित आवेदक की नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा कभी भी निरस्त की जा सकती है।

**13.5** उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग के द्वारा चयन सूची के साथ नियोक्ता अधिकारी को भेजे गए अभिलेख के शासन स्तर पर परीक्षण के उपरांत आवेदक को अनर्ह पाया जाता है तो राज्य शासन के संबंधित विभाग द्वारा चयनित आवेदक को नियुक्ति न देने अथवा यदि नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं तो ऐसे नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

**13.6** उपरोक्तानुसार की जाने वाली/की गई कार्यवाही आवेदक के द्वारा दी गई असत्य/अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर होती है, अतएव इसके लिए आयोग/शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**13.7** उपर्युक्त के अतिरिक्त भी आयोग के द्वारा की गई सदभावनापूर्वक कार्यवाही अथवा मानवीय चूक से त्रुटि परिलक्षित हो तो इस प्रकार सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही/चूक के लिए आयोग के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं होगा।

**(14) चयन प्रक्रिया :-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग प्राप्त आवेदनों के संबंध में सामान्यतः निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करता है :-

**14.1** यदि आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है और आयोग के लिए सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाना सुविधाजनक नहीं होगा तो आयोग लिखित परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में यथोचित संख्या तक कमी कर सकता है।

अथवा

**14.2** यदि विभागीय भर्ती नियमों में किसी पद विशेष के लिए किसी विशेष एवं अन्य योग्यताओं के आधार पर अधिमान्यता देने का प्रावधान है तो लिखित परीक्षा के अंकों में अधिमान्यता बाबत आयोग के निर्णय अनुसार अंकों को सम्मिलित करते हुए साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में यथोचित संख्या तक कमी कर सकता है।

अथवा

**14.3** आयोग विज्ञापित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता/उच्चतर अर्हता/अनुभव हेतु अंक निर्धारित करते हुए मेरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में यथोचित संख्या तक कमी कर सकता है।

**14.4** आयोग द्वारा पैरा 14.1 के अनुसार कार्यवाही किए जाने

की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

**14.5** आयोग द्वारा पैरा 14.2 के अनुसार कार्यवाही किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, (जिसमें अधिमान्यता के अंक भी शामिल किये जाएंगे) एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

**14.6** आयोग द्वारा पैरा 14.3 के अनुसार कार्यवाही करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर अथवा ऐसे आधार पर किया जाएगा, जैसे कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए।

**(15) लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना :-**

**15.1** आयोग द्वारा विज्ञापित पद के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को सीमित किये जाने एवं तत्पश्चात ऐसे सीमित किये गये उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के पश्चात लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर चयन किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की सूचना आवश्यकतानुसार बाद में आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जा सकेगी।

**15.2** लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की सूचना डाक से आयोग द्वारा पर्याप्त समय पूर्व उम्मीदवार को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की जानकारी आयोग की वेब-साईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर भी दी जाती है। अतएव विज्ञापित पद के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो उक्त स्थिति में यदि किसी आवेदक को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो आवेदक स्वयं आयोग कार्यालय से संपर्क कर अथवा आयोग की वेबसाइट से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

**15.3** आवेदक को भेजे गए प्रवेश पत्र/सूचना पत्र से संबंधित डाक आवेदक को समय पर प्राप्त न होने अथवा विलंब से डाक प्राप्त होने के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

**महत्वपूर्ण टीप :-** 1. आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः उम्मीदवारों से इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

**महत्वपूर्ण टीप :-** 2. उम्मीदवार आयोग को लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न-पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**(16) यात्रा व्यय का भुगतान :-**

**16.1** छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदक हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

**16.2 साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 16.1 में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

### (17) आवेदन पत्र एवं अन्य बातें –

**17.1** एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

**17.2** संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय क्रमांक, यथा – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।

### (18) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देश:-

**18.1** आवेदक अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं। फोटो पर आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक है।

**18.2** स्वयं के पता लिखें 5/-रु. का टिकिट लगा दो लिफाफे (12c.m.X 25c.m.) अवश्य भेजें। आवेदन-पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक 6/-रुपये का डाक टिकिट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें। जिस पर उन्हें आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जाएगी।

**18.3** आवेदन-पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम" बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाई संभव नहीं होगी।

**(19)** भरे हुए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर कार्यालय में अंतिम तिथि 31.07.09

के शाम 5.30 बजे तक जमा कर पावती प्राप्त करें। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो दिनांक 31.07.2009 के शाम 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदन ही विचार में लिए जाएंगे। डाक के विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

### (20) अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी –

**20.1** प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें।

**20.2** यदि आवेदक के द्वारा आयोग को भ्रमित करने के उद्देश्य से कोई अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो उसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, आयोग कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

**20.3** त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

**20.4** आयोग द्वारा आवेदक की उम्मीदवारी को समाप्त करने का निर्णय लेने पर किसी प्रकार की लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

**20.5** मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आवेदक का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

### (21) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा आवेदक पर बंधनकारी होगा।

**(22)** आयोग द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जानकारी आवेदकों के हितार्थ समय-समय पर आयोग की वेब-साईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) में दी जाती है। अतः आवेदकों को चाहिए कि आयोग की वेब-साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

हस्ता/-

सचिव

छ0ग0 लोक सेवा आयोग

रायपुर

नोट :- छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है।



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

प्रपत्र - एक

जिला मलेरिया अधिकारी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के पद हेतु

## “आवेदन पत्र”

विज्ञापन क्रमांक 02/2009/चयन/दिनांक 26/06/2009

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक

पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक (आयोग द्वारा भरा जाएगा)

### महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदक विज्ञापन का भली-भांति सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात ही आवेदन पत्र भरें।
2. केवल काली स्याही वाले बॉल पेन से भरें।
3. आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन पत्र में समस्त जानकारियां सही भरें/असत्य/गलत, जानकारी भरने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
5. छत्तीसगढ़ के अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के वैध जाति प्रमाण पत्र धारक ही कालम नं. 7 आरक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के शेष सभी एवं अन्य राज्यों के आवेदक अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन करें।
6. आवेदन शुल्क - बैंक ड्रॉपट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा क्रं. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर पर ही देय (Payable) होना चाहिये।
7. आवेदक बॉक्स में उपयुक्त जानकारी ही भरें।

- (1) विभाग
- पद
- (2) बैंक ड्रॉपट क्र.
- दिनांक
- राशि
- जारी करने वाले बैंक का नाम

- (3) आवेदक का नाम:- अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखें (सरनेम पहले लिखें) दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें।

- (4) पिता/पति का नाम :-

- (5) जन्म तिथि :-

दिनांक माह वर्ष

- (6) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी:-

हां - Y

नहीं - N

- (7) लिंग :-

पुरुष - M

महिला - F

- (8) अ. श्रेणी - कोड नं.

अनारक्षित - 1

- (8) ब. श्रेणी - कोड नं.

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों एवं आरक्षित वर्गों के लिए)

अ.जा. - 2

अ.ज.जा. - 3

अ.पि.व. - 4

(गैर क्रीमीलेयर)

- (9) विकलांग :-

हां - Y

नहीं - N

नोट :- जो लागू न हो उस  में  करें।

- (10) आयु में छूट :- आवेदक आयु में छूट चाहता हो तो विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट का सही क्रमांक लिखें:- हां - Y
- नहीं - N

छूट का क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

आयु 01.01.2010 की स्थिति में

वर्ष माह दिन




- (11) स्थायी पता :-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- (12) पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान डाक का पता :-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

पिन:- पिन:-



(13) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :- क्रमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी/ग्रेड	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र क्रमांक
1	हाईस्कूल								
2	हायर सेकेण्डरी								
3	स्नातक								
4	स्नातकोत्तर								
5	अन्य								

(14) यदि आवेदक सेवारत हो या सेवारत रहा हो तो पूरा विवरण दें (प्रमाण-पत्र संलग्न करें):-

पद का नाम	कार्यालय/संस्था का नाम	सेवा अवधि			यदि वर्तमान में सेवारत हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	प्रमाण पत्र क्रं.
		कब से	कब तक	प्रमाण पत्र क्रं.		
					हां - Y <input type="checkbox"/> नहीं - N <input type="checkbox"/>	

- (15) यदि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आता है एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है तो सक्षम प्राधिकारी (अनुविभाग अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र, जो आवेदन करने की तिथि में वैध हो, संलग्न करें एवं  में प्रमाण पत्र क्रमांक दर्शाये।
- (16) क्या आवेदक कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया/हटाया गया, किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित है, यदि हाँ तो विवरण दें। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित है ? यदि हाँ तो विवरण दें।
- (17) यदि आवेदक संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दे :-

### घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने परीक्षा नियमों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं उक्त परीक्षा के लिये निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही हैं। यदि कोई जानकारी परीक्षा से पहले या बाद में गलत पायी जाए या अपात्रता का पता चले तो आयोग मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

स्वयं के हस्ताक्षरित  
नवीनतम फोटो चिपकायें  
4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.

आवेदक के हस्ताक्षर

हिन्दी

अंग्रेजी

(अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र रद्द किया जायेगा)

स्थान : .....

दिनांक : .....

## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अंकसूची, उपाधि/प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों का विवरण:-

आवेदित पद का नाम :- ..... आयोग का विज्ञापन क्रमांक:- 02/चयन/2009/दिनांक 26/06/2009

प्रमाण पत्र क्र.	संलग्न किए गए अंक सूची, उपाधि, प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		
(11)		
(12)		
(13)		
(14)		
(15)		

**नोट :-** जितनी संख्या में दस्तावेज संलग्न किए जाए, उसका उपर्युक्त कॉलम में विवरण लिखने के पश्चात शेष को आवेदक एक तिरछी लकीर खींचकर क्रास कर दें।

.....  
 आवेदक के हस्ताक्षर  
 आवेदक का पूरा नाम व पता  
 .....  
 .....